

राज्य सॉफ्टवेर में विकासखंड एवं जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बैंक खातो एवं राशी की प्रविष्टी की जानी है ।

इस प्रविष्टी हेतु निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है :-

1) यह प्रविष्टी 1 अप्रैल 2012 से की जानी है इसलिए सर्वप्रथम

बैंक खातो की प्रविष्टी की जानी है। बैंक खातो की प्रविष्टी

मद-वार होनी है । विकासखंड स्तर में खाद्यान मूल्य एवं

परिवहन व्यय हेतु किसी प्रकार की प्रविष्टी की आवश्यकता

नहीं है क्योंकि पूर्व में इसका भुक्तान जिला स्तर पर

किया जाता था वर्तमान में यह राज्यस्तर पर किया जा रहा

है।

2) विकासखंड स्तर में MME, कुकिंग कास्ट, रसोइयां मानदेय की प्रविष्टी प्राथमिक एवं माध्यमिक के अंतर्गत की जानी है ।

जिला स्तर पर खाद्यान मूल्य एवं परिवहन व्यय

हेतु खाता पूर्व में बनाया गया है तो उसकी प्रविष्टी जिला स्तर पर की जानी है ।

3) प्राप्त राशी का विवरण प्रविष्टी की दिनांक-वार किया जाना है।

4) इसी प्रकार विकासखंड एवं जिला स्तर में व्यय एवं

आबंटन की गड़ राशी का विवरण दिया जाना है यह कार्य आगमी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्णकर लेवे ।

इस प्रविष्टी के आधार पर ही इस वर्ष का अंतिम आबंटन जारी किया जाएगा ।

5)प्रविष्टी के अभाव में आबंटन जारी किया जाना संभव नहीं होगा अतः इस कार्य को गंभीरता से लेते हुआ पूर्ण कराए ।

प्रविष्टी के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइ आने पर निम्न नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है -

महेश कुमार नायक 09827191631

विभुति वर्मा 07879428413

--
[DPI,RAIPUR,CHHATTISGARH](#)